

प्रपत्र-II

भाग-'ख'

एस0आई0ए0 की अधिसूचना

(देखें नियम-06 का उप नियम-(I))

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के नियम-06 के उपनियम-I के अन्तर्गत ग्राम-सांगा, थाना नं0-60, थाना-कांके, अंचल-कांके, जिला-रांची अन्तर्गत S.I.A. के अध्ययन हेतु कार्यालय पत्रांक-504(ii), दिनांक-14.03.2016 के द्वारा कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे को कार्यादेश दिया गया है।

अर्जन हेतु प्रस्तावित का विवरण

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
73	1337	0.40	233	1408	0.06
183	1362	0.05	319	1409	0.44
180	1363	0.08	319	1410	0.01
133	1366	0.02	220	1411	0.04
125	1367	0.05	220	1412	0.19
125	1368	0.05	14	1413	0.12
125	1369	0.30	14	1414	0.58
20	1373	0.08	37	1415	0.62
20	1374	0.08	40	1425	0.17
316	1387	0.10	41	1426	0.14
38	1388	0.05	42	1427	0.57
318	1390	0.66	43	1428	0.32
223	1391	0.03	44	1429	0.05
246	1392	0.83	47	1432	0.36
171	1393	0.12	48	1433	0.11
171	1394	0.97	49	1434	0.45
149	1397	0.35	265	1435	0.15
14	1398	0.16	272	1437	0.20
149	1399	0.12	149	1438	0.24
149	1401	0.09	90	1474	0.05
149	1402	0.32	89	1475	0.02
24	1406	0.22	89	1873	0.10
307	1407	0.24	Total		10.46

S.I.A. इकाई द्वारा लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ ग्रामसभा का आयोजन/भू-स्वामी की सहमति प्राप्त किया जाना है। S.I.A. किये जाने का समय सीमा नियमावली 6(3) के प्रावधान अनुसार छः माह

के अन्दर समूचित सरकार (उपायुक्त) को मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। S.I.A. के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है, तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। S.I.A. इकाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे :-

1. **डॉ० अजय सिंह, नोडल पदाधिकारी S.I.A. सेल, मो०-9031450087**
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड ब्राम्बे, रांची।
2. **डॉ० रविन्द्रनाथ शर्मा, सदस्य**
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड ब्राम्बे, रांची।
3. **डॉ० बिनोद कुमार त्रिपाठी, सदस्य**
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड ब्राम्बे, रांची।
4. **डॉ० सीमा ममता मिंज, सदस्य**
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड ब्राम्बे, रांची।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
रांची।

अपर समाहर्ता,
रांची।

उपायुक्त,
रांची।